श्रीयुत हिमाचल प्रदेश राज्य औधोगिक विकास निगम लिमिटेड न्यू हिमरस बिल्डिंग, शिमला द्वारा गाँव पंडोगा,खसरा न० 1244, 1257, 1263, 3214/1265, 3215/1265,1432,1433,1434,1435 Kita-9,2832 तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश मे (5MLD) सामान्य प्रवाह उपचार सयन्त्र (Common Effluent Treatment Plant) की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई के आयोजन सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण :

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 03,January 2017 को प्रातः 11:30 बजे औधोगिक क्षेत्र पंडोगा, नजदीक (K.C. College), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश मे श्रीयुत हिमाचल प्रदेश राज्य औधोगिक विकास निगम लिमिटेड न्यू हिमरस बिल्डिंग, शिमला द्वारा गाँव पंडोगा,खसरा न० 1244, 1257, 1263, 3214/1265, 3215/1265,1432,1433,1434,1435 Kita-9,2832 तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश मे (5MLD) सामान्य प्रवाह उपचार सयन्त्र **(Common Effluent Treatment Plant)** की स्थापना के प्रस्ताव पर पर्यावरण जन सुनवाई भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए.(EIA) अधिसूचना संख्या का.आ.1533(अ) दिनांक 14-09-2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला ऊना की अध्यक्षता में आयोजित की गयी | इस जन सुनवाई के दौरान स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी व अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी व पंचायत प्रधान, व साथ लगती पंचायतो व साथ लगते गावों के निवासी उपस्थित थे | सर्व प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता ने अध्यक्ष महोदय व जनता का अभिनंदन किया व जन सुनवाई की कार्यवाही प्रकिया शुरू की | अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ऊना ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा की इस इकाई की स्थापना के सम्बन्ध मे कोई भी सुझाव, विचार एवं शिकायत हो तो निसंकोच पूछ सकते हैं | तत्पश्चात, हिमाचल प्रदेश राज्य औधोगिक विकास निगम लिमिटेड के परामर्शदाता के प्रतिनिधि द्वारा अपनी इकाई के प्रारूप और विस्तरित पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में जन समूह को अवगत कराया गया |

इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन सुनवाई की प्रक्रिया आरम्भ की गयी | इस जन सुनवाई की सम्पूर्ण कार्यवाही की विडिओग्राफी भी की गयी | इस जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुदों एवं उन पर की गयी टिप्णियों की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है|

क्र.	**नाम व पता**	**मुद्दे**	**उठाये गए मुद्दों पर टिप्पणी**
1.	श्री रणजीत राणा, ग्राम पंजाबर पूर्व जिला परिषद् सदस्य	इन्होने कहा की इस परियोजना से हमें कोई आपति नहीं है | परंतु पर्यावरण संतुलन में रहे,	परियोजना के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उद्योगों से निकालने वाले गंदे पानी पुनः उपचार करने के लिये ही (5MLD) सामान्य प्रवाह उपचार सयन्त्र **(Common Effluent**

		तथा प्रदूषण को भी नियंत्रण में रखा जाए।	**Treatment Plant)** की स्थापना की जा रही है/ जिस्से की उद्योगों से निकालने वाले गंदे पानी वाहर नदि नालों मै ना जाए।
2	श्री अशोक ठाकुर ग्राम पंडोगा पूर्व प्रधान पंडोगा जिला ऊना।	इन्होने कहा की इस परियोजना के लगने से हमे कोई आपति नहीं है।	---

अंत में वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऊना ने सभी प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन का पर्यावरण सम्बन्धी जन सुनवाई में भाग लेने पर धन्यवाद किया।

Addl. Distt. Magistrate
Una, Distt. Una (H.P.)

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला ऊना (हि. प्र.)